

ज्ञापांक:-----/

प्राचार्य का कार्यालय: श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0

कार्यालय आदेश

मुज0, दिनांक:-----/

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 19300, दिनांक 13.10.2023 के क्रम में स्वास्थ्य निदेशालय ज्ञापांक 1531(4) दिनांक 14.10.2023 एवं ज्ञापांक 1543(4) दिनांक 18.10.2023 के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 में निहित शर्तों के अधीन स्कीनिंग समिति की बैठक दिनांक 08.12.2023 में लिये निर्णय व अनुशंसा के आलोक में प्राचार्य कार्यालय श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0 के नियमित स्थापना में कार्यरत निम्नलिखित उच्च वर्गीय लिपिक को आदेश निर्गमन की तिथि से तदर्थ एवं अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद सहायक प्रशासी पदाधिकारी का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्रमांक	नाम एवं वरीयता क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन	आरक्षण कोटि	पूर्व का वेतन स्तर	प्रोन्नति पश्चात देय वेतन स्तर	नियुक्ति तिथि	जन्म तिथि	विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि	सेवा सन्पुष्टि की तिथि	अभ्युक्ति
1	श्री बलभद्र कुमार वरीयता क्रमांक-1	प्राचार्य कार्यालय	सामान्य	पे लेवल-7	पे लेवल-7	14.10.1999	16.10.1978	20.03.2004	20.03.2004	20.03.2004

- कार्यकारी व्यवस्था की यह प्रक्रिया नाननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील संख्या 4880/2017 राज्य सरकार एवं अन्य बनान सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य संबंध वादों में पारित होने वाले अतिन आदेश के फलाफल में प्रभावित होने की शर्त पर औपबंधिक रूप से उपरोक्त कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान की जा रही है।
- प्रोन्नति सहायक प्रशासी पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि प्रोन्नत पद पर तत्काल अपने पदस्थापित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
- कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ सहायक प्रशासी पदाधिकारी के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।
- नियमित प्रोन्नति की प्रक्रिया में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चतर पद का प्रभार धारित लोक सेवक किसी कारणवश प्रोन्नति प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे उच्चतर पद से उसके मूल पद पर वापस कर दिया जायेगा, यदि उच्चतर पद के आधार पर प्राप्त की गयी वेतन भत्ते एवं सुविधाओं की वसूली उनसे नहीं की जायेगी।

H0/-

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0परपुर।

मुज0, दिनांक:- 12/12/23

ज्ञापांक:- 1590/23

प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी विभागाध्यक्ष / प्रभारी प्राध्यापक प्रशासन / बरसर / लेखापाल / स्थानापना लिपिक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0 को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी मुज0 को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कर्मियों, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0 को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्राचार्य

Dr. Ramesh Kumar
12/12/23

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुज0परपुर।

Dr. Ramesh Kumar
12/12/23